2/5/22 पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इत्तला होकर पत्रावली आइन्दा 24/6/22 को पेश हो।

24/6/22 पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इत्तला होकर पत्रावली आइन्दा 18/7/22 को पेश हो।

18/7/22. पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 CPC का पेश कर अंकित करना कि प्रतिवादी संख्या 1 धीरज पुत्र प्रह्लाद का स्वर्गवास हो गया है तथा प्रतिवादी सं. 1 के वारिस मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 पूर्व से ही रेकार्ड पर उपलब्ध है, साथ ही ए.डी. पेश कर ए.डी. रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र पैतृक आराजी के अपने हक की खातेदारी घोषणा का प्रतिवादी सं. 1 धीरज पुत्र प्रह्लाद के विरुद्ध पेश किया गया था। चूंकि वकील वादी के निवेदन के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 धीरज का दिनांक 18.03.2022 को स्वर्गवास हो गया है, प्रतिवादी सं. 1 धीरज का स्वर्गवास हो जाने के नियमानुसार [illegible] विरासत का नामान्तरण तहसील [illegible] नामान्तरण [illegible] हो प्रतिवादी [illegible] किया के वादीगण [illegible] स्वर्गवास हो [illegible] चला गया वाद हेतुक समाप्त हो चुका है अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय तैयार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]

सेवामे,

श्रीमान सहायक कलेक्टर (S.D.O.)महोदय,

गुडामालानी

वादीगण–

1. मांगीलाल पुत्र श्रीराम उम्र 55 वर्ष
2. लिखमीचन्द पुत्र श्रीराम उम्र 52 वर्ष
3. औमप्रकाश पुत्र श्रीराम उम्र 48 वर्ष

जाति देशान्तरी निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. श्रीराम पुत्र पाबुदान फौत के कायम मुकाम

(वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादीगण संख्या 2 पहले से ही रिकॉर्ड पर है।)

2. चुन्नीलाल पुत्र श्रीराम उम्र 50 वर्ष
3. श्रवण पुत्र मगाराम (फौत) के कायम मुकाम

1/3 स्वरूप पुत्र श्रवण उम्र 20 वर्ष

2/3 देवाराम पुत्र श्रवण उम्र 18 वर्ष

3/3 गोपी पत्नि श्रवण उम्र 40 वर्ष

4. भीमा पुत्र मगाराम उम्र 64 वर्ष
5. मोहन पुत्र मगाराम उम्र 56 वर्ष
6. हरी पुत्र मगाराम उम्र 53 वर्ष
7. शंकर पुत्र मगाराम उम्र 47 वर्ष
8. भंवरलाल पुत्र रामचन्द उम्र 62 वर्ष
9. पुखराम पुत्र दौलाराम उम्र 46 वर्ष
10. चेनाराम पुत्र दोलाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकर्ड में दर्ज है इस प्रकार उक्त आराजी खातेदार के पूर्वज बलिदान के समय की पैतृक एवं संयुक्त हिन्दु परिवार के सहदायिकी की आयी हुई है। जिसकी खतौनी बन्दोबस्त एव चालु जमाबन्दी साथ पेश है।

02. कि ग्राम गुड़ामालानी पटवार हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 11 56 क्षेत्रफल 5. 2690 हैक्टेययर रकबा 32-11 बीघा का आया हुआ है जिनमें वादीगण के पिता का 1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है परंतु हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार श्रीराम के पुत्र के जन्म के साथ ही श्रीराम के साथ सह खातेदार के रूप में कायम हो गये इसीलिए श्रीराम के चार पुत्र होने से हिन्दु विधि के पैतृकता के सिद्धान्त अनुसार पिता के साथ पुत्र का बराबर हक हिस्सा होने से प्रत्येक का 1/25-1/25 हिस्सा बनता हैं इसीलिए वादीगण का व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/25-1/25 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 7 की माता चंदा फौत होने से चंदा का हिस्सा इनमें समाहित होने से इनका संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बंट में आता है प्रतिवादी संख्या 8 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 से 15 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बनता है उसी अनुसार अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

03. कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के 04 सन्तान होने से श्रीराम के हिस्सा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रत्ये[illegible] 1/25-1/25 हिस्सा है इस कारण [illegible] पैतृक भूमि है और वादीगण [illegible] पैतृक भूमि मे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में मिल[illegible] वाले हिस्से का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है और हिन्दु उत्तराधिकर अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है और वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकर्ड में दर्ज है इस प्रकार उक्त आराजी वादीगण के पूर्वज बलिदान के समय की पैतृक एवं संयुक्त हिन्दु परिवार के सहदायिकी की आयी हुई है। जिसकी खतौनी बन्दोबस्त एव चालु जमाबन्दी साथ पेश है।

02. कि ग्राम गुड़ामालानी पटवार हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 11 56 क्षेत्रफल 5.2690 हैक्टेययर रकबा 32–11 बीघा का आया हुआ है जिनमें वादीगण के पिता का 1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है परंतु हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार श्रीराम के पुत्र के जन्म के साथ ही श्रीराम के साथ सह खातेदार के रूप में कायम हो गये इसीलिए श्रीराम के चार पुत्र होने से हिन्दु विधि के पैतृकता के सिद्धान्त अनुसार पिता के साथ पुत्र का बराबर हक हिस्सा होने से प्रत्येक का 1/25–1/25 हिस्सा बनता हैं इसीलिए वादीगण का व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/25–1/25 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 7 की माता चंदा फौत होने से चंदा का हिस्सा इनमें समाहित होने से इनका संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बंट में आता है प्रतिवादी संख्या 8 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 से 15 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बनता है उसी अनुसार अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

03. कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के 04 सन्तान होने से श्री[illegible] हिस्सा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या [illegible] 1/25–1/25 हिस्सा है इस कारण वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने दादा बलिदान की पैतृक भूमि मे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में मिलने वाले हिस्से का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है और हिन्दु उत्तराधिकर अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है और वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:21 IST
Reason: SelfAttested